

उपसमापति : कमेटी की रिपोर्ट आने से पहले प्रपना सजेशन उन्हें भेज दीजिए ।

मैसर्स छोड़े डिस्टिलरीज लिमिटेड द्वारा अदा किया गया उत्पादन-शुल्क

\* 482. श्रीमती सत्या बहिन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स छोड़े डिस्टिलरीज लिमिटेड द्वारा वर्ष 1990-91 के दौरान अदा किए गए उत्पाद-शुल्क का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार ने इस कम्पनी के आय और व्यय लेखाओं की कभी जांच/लेखा परीक्षा करायी है ;

(ग) यदि हाँ, तो अब और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या लेखाओं की जांच के दौरान किन्हीं अनियमितताओं का पता चला है ; यदि हाँ, तो उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) इस कम्पनी की और उसके द्वारा देय विभिन्न केंद्रीय करों के रूप में कितनी सरकारी राशि बकाया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) मैसर्स छोड़े डिस्टिलरीज ऐसे किसी माल का विनिर्माण नहीं कर रहा है जिस पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम 1985 के अंतर्गत उत्पाद शुल्क प्रभावी हो । अतः केंद्रीय उत्पाद शुल्क की अदायगी का प्रश्न नहीं चढ़ा है ।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते ।

(ङ) इस कम्पनी के नाम पर विभिन्न केंद्रीय करों के रूप में बकाया पड़ी सरकारी धनराशि का ब्यौरा नौचे दिया गया है :

आयकर                      केंद्रीय उत्पाद शुल्क  
(31-7-92 की  
स्थिति के अनुसार)

67.59 लाख रुपये

शून्य

श्रीमती सत्या बहिन : महोदया मुझे माननीय वित्त मंत्री जी के जवाब से बड़ी निराशा हुई है और जहाँ तक मैं समझती हूँ जिसका धेने उल्लेख किया है मैसर्स छोड़े डिस्टिलरीज लिमिटेड यह सर्वविदित है कि कर चोरी के मामले में जितनी बदनाम ये यूनिट है, इसका मैं उल्लेख करना चाहती हूँ कि कुछ वर्षों पहले कर चोरी के आरोपों के कारण कर्नाटक सरकार ने इनके मार्केटिंग डिवीजन को टेकओवर किया था क्या यह सही है ? अगर ऐसा किया था तो जाहिर है कि केंद्रीय करों में भी उन्होंने अनियमितता बरती होगी । मेरा सवाल महोदया, सीधा था कि कंपनी के आय-व्यय का कोई ऑडिट हुआ है कि नहीं हुआ है । आपने कहा नहीं हुआ है । तो जब नहीं हुआ है जो आपने कर की स्थिति दिखाई है जो आंकड़े दिए हैं, क्या उन्होंने खुद अपने आंकड़े दिए हैं या आपने दिलवाए हैं ? मैं इसके संबंध में ये पूछना चाहती हूँ कि इनकी फर्स्ट क्वालिटी की कितनी प्रोडक्शन है और सेकेंड क्वालिटी की कितनी प्रोडक्शन है और दोनों क्वालिटी पर कितना-कितना आयकर इन्होंने आपको बताया है ।

दूसरा ये जो आपने आयकर की स्थिति बताई है ये कब तक आप वसूल करेंगे ?

श्री रामेश्वर ठाकुर : माननीय सदस्या ने जो प्रश्न हमारे सामने प्रस्तुत किया है, हमने स्पष्ट किया कि केंद्रीय सीमा शुल्क के अंतर्गत इस कंपनी से उत्पादित वस्तुओं का कोई संबंध नहीं है । राज्य सीमा शुल्क ही इस पर लागू है । इसके सारे विवरण राज्य सरकार को पेश कि जाते

है और राज्य सरकार ही इन वस्तुओं पर कर लगाती है। कितनी वस्तुएं किस श्रेणी में उत्पादित होती हैं, इसकी निगरानी राज्य सरकार करती है क्योंकि राज्य सरकार के मातहत है। स्वाभाविक रूप से हमने उत्तर में कहा है कि चूंकि केंद्रीय सीमा शुल्क इस पर नहीं है इसलिए केंद्रीय सीमा शुल्क विभाग के द्वारा इनके हिसाब-किताब की जांच की कोई आवश्यकता नहीं है, न होती है क्योंकि ये हमारे मातहत नहीं आता है।

दूसरा प्रश्न इन्होंने पूछा है इनकम टैक्स, आयकर के बारे में। आयकर के बारे में इनके यहां कुल रुपए 67.59 लाख रुपए 31-7-92 को हैं। इस संबंध में ये जानकारी उपलब्ध है कि 1989-90 साल के लिए 30 मार्च 92 को जो इनका आयकर के संबंध में निर्णय किया गया, ऐसिस्टेंट ऑर्डर हुआ उसमें एक करोड़ तीन लाख रुपए इनके यहां बकाया थे जिसके अंतर्गत बाद में 35.84 लाख रुपए ऐडजस्ट हुए जो इनको वापस मिलने थे पिछले बरसों के, 80-81 के, 84-85 के, 86-87 के और 87-88 के, वह रुपए काट लिए गए, बाकी रुपए इनके यहां 67.44 लाख रुपए बकाया हैं। इसमें से 45 लाख रुपए केवल ब्याज के मद के हैं और ये अपील में अपने कमिश्नर के पास यह मामला है और अभी कल इसकी सुनवाई 10 अगस्त को हुई है, सुनवाई जारी है और सुनवाई का निर्णय होने पर यदि इनके यहां और रुपए बकाया होंगे तो रुपए वसूल किए जाएंगे। तात्कालिक अपीलेंट कमिश्नर अथॉरिटी ने इस रुपए की वसूली पर रोक लगाई हुई है इसलिए ऐसी कोई रकम बकाया नहीं है जिसमें कोई रोक नहीं हो, जिसमें कोई झगड़े नहीं हों और जो बिल्कुल ही स्पष्ट रूप से बाकी हो, ऐसी कोई राशि नहीं है।

**श्रीमती सत्या बहिन :** महोदया, मेरा दूसरा अनुप्रश्न सावल है कि डिस्टिलरीज को कोटा भीलेसेज का, शीरे का जिस से ये शराब बनाते हैं... (व्यवधान)

**उपसभापति :** वह स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है। उन्होंने पहले सावल के जवाब में आपको क्लियरली बनाया है कि एक्साइज ड्यूटी स्टेट सब्जेक्ट है और जो इनकम टैक्स है, उसमें ही इनका संबंध जुड़ता है और उन्होंने विस्तार में जवाब दे दिया। इसलिए आप एक्साइज ड्यूटी के सावल को छोड़ कर कोई और पूछिए।

**श्रीमती सत्या बहिन :** एक्साइज ड्यूटी का नहीं, मेरा प्रश्न यह है कि क्या कोटा देने में केंद्र सरकार का कुछ हाथ रहता है... (व्यवधान)

**THE DEPUTY CHAIRMAN:** No, because others are...

**SHRI KAMAL MORARKA:** Madam, this question should not have been admitted. If the question relates to the State Government, why is the time of the House being wasted? (Interruptions)

**AN HON. MEMBER:** Others are also waiting...

**SHRI RAMDAS AGARWAL:** It is a question against an individual company. I do not know why it has been accepted.

**THE DEPUTY CHAIRMAN:** I am examining the admission of the question. I had a meeting and I will go into it and see what comes under our purview and what comes under the State subjects. These are under our examination.

**श्रीमती सत्या बहिन :** इनकम टैक्स से संबंधित है मेरा सवाल। कितने को प्रोडक्शन वह करते हैं, उसमें कितने ब्रांड शराब बनती है और उस से इनकम होती है तो उस पर अलग-अलग कितना इनकम टैक्स उन्होंने दिया है?

**श्री रामेश्वर ठाकुर :** मैंने माननीय सदस्या को बताया कि संविधान के अंतर्गत आर्टिकल 246 है और उसके अंदर एक आर्टिकल 51 है :

"Duties of excise on the following goods manufactured or produced in the State and countervailing

duties at the same or lower rates on similar goods manufactured or produced elsewhere in India...."

**THE DEPUTY CHAIRMAN:** Thakur Sahab, on that I had given my ruling.

**SHRI RAMESHWAR THAKUR:** When details are being asked, Madam, naturally, मैंने स्पष्ट रूप से बताया और जैसा आपने कहा कि यह राज्य सरकार के मातहत है कितना उत्पादन किस श्रेणी में उनके कारखानों में होता है। इसका विवरण केंद्रीय सरकार के पास नहीं है क्योंकि यह सीमा शुल्क के अंतर्गत नहीं आता है। यह विवरण हमारे पास उपलब्ध ही ही नहीं सकता। चायकर से संबंधित प्रतिरिक्त कोई प्रश्न हो तो मैं उत्तर दे सकता हूँ।

**श्री शिवधरण सिंह :** महोदया, मेरा तो केवल एक प्रश्न है मंत्री महोदय से और प्रश्नकर्ता से कि छोटे डिस्टिलरीज लिमिटेड कौन कौन सी शराब बनाती है।

**श्री रामेश्वर ठाकुर :** मुझे शराब पीने का ज्ञान ही नहीं है।

**उपसभापति :** वह शराब पीते नहीं हैं इसलिए बता नहीं सकते। ठाकुर साहब आप झिंक करते तो बता सकते होंगे।

**श्री रामेश्वर ठाकुर :** मेरे मातहत ही नहीं है इसलिए भी नहीं बता सकता। अगर होता तो जानकारी हासिल कर सकता था।

**श्री हेच० हनुमन्तप्पा :** आपने यह क्लेम की है कि यह स्टेट सब्जेक्ट है। It affects the turnover of the companies that are manufacturing. The turnover is attracted by the Income-tax Act. If a lot of production goes out of the account, what is the remedy that the Income-tax Department is keeping open to look into the production which goes unaccounted? Even at the State level, are you not losing your income? What is the monitoring

mechanism that you are having? What is the precaution that you are having? If any State allows these distilleries, knowingly or unknowingly, these distilleries are involving themselves in fraudulent method of stealing the excise of the State. Can you wash your hands of it? This is Central excise duty. Will it not reduce the turnover of the company? Will it not in turn, reduce the income-tax of the Central Government? What are you going to do about this? How are you going to correlate it? How are you going to see that your income is not looted by the unscrupulous people on the plea that it is a State subject?

**THE DEPUTY CHAIRMAN:** This is a better way of putting the questions.

**SHRI RAMESHWAR THAKUR** Madam, I can reply to the questions. So far as income-tax assessments are concerned, the Income-tax authorities examined all the aspects—procurement of raw materials, consumption of raw material, production, distribution, stock at hand and other aspects of expenses, gross profit and thereafter administrative expenses and the net profit chargeable to tax. Therefore, these aspects are being examined. Nowhere in the question there is anything related to any part of production being suppressed or otherwise. It has not come to the notice of the Income-tax Department. In fact, in certain areas, additions have been made to the Income-tax authorities which are matters of appeal before the Commissioner. Therefore, so far as direct taxes are concerned, so far as income-tax is concerned, these aspects are being thoroughly examined and wherever there is any clue or any detail or proof of any suppression, they are being looked into by the Income-tax authorities. Necessary additions are made. The amount of taxable income is being enhanced. Accordingly tax is being enhanced. I do not have any information available with me. If any hon. Member in this regard that information will certainly be passed on to the Income Tax Office for further examination.

**SHRI H. HANUMANTHAPPA:** Madam, the Minister has himself expan

ed the question. He says that the Income Tax Department has got all the details of raw-material, production, etc. He must be knowing how this turn over has been given. He says that none of the figures are available. I would like to know whether he has got the figures of total raw-material and total production. I would also like to know how much excise duty has been attracted and how much income tax has been taken. Has he verified this aspect?

**SHRI RAMESHWAR THAKUR:** Madam, details are available on the record. If a separate notice is given in regard to any details that are required, we can certainly obtain them from the States. But these details are not available here. I will not be able to say about the brand of excisable liquor because it is a State subject. Naturally, I am not in a position to say what are the different brands manufactured and so on. So far as the revenue aspect of the direct tax is concerned, detailed examination is being done by the local income tax authorities.

**THE DEPUTY CHAIRMAN:** What I understand from the question is this. If manufacturer are taking out some manufactured goods without paying excise duty then, naturally, the profit will go down and according your tax will also go down. That is exactly what he asked.

Question No. 483.

**Provision for auditor-member on the Board of directors of Banks and Financial Institutions**

\*483. **DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKAR:** Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government are considering to statutorily provide for an Auditor-Member on the Board of Directors of Banks and Financial Institutions;

(b) whether Government have studied a similar statutory provision in the U.S.A.; and

(c) if so, what are the details thereof?

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI DALBIR SINGH):** (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

#### Statement

(a) There is no specific provision in the statutes governing the State Bank of India, the nationalised banks and the term lending Central financial institutions for the appointment of Auditor-Members on their Boards of Directors. However, persons qualified as Chartered Accountants are also considered for appointment as non-official directors on the boards of the banks and financial institutions. There is no specific proposal under consideration of the Government to provide for appointment of an Auditor-Member in the relevant statutes.

(b) and (c) No such study has been undertaken by the Government.

**DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKAR:** Madam, the present system of audit in the banks is by appointment of external auditors and internal auditors. Now the external auditors audit only the items which are included in the balancesheet and the profit and loss accounts. Both the external auditors and the internal auditors are either appointed by the bank or they are employees of the same bank. So they do not report correctly things which are inconvenient to the bank management. Generally, these things are not reported. Therefore, on the lines of State Electricity Boards where we have an Auditor-Member who is generally a member of the Indian Audit and Accounts Services, would you like to make such statutory provision for appointment of such Auditor-Members? The reply says, "There is no specific proposal under consideration." I am giving you this proposal. Will the Government give due consideration to this proposal?

**श्री दलबीर सिंह :** महोदया, माननीय सदस्य का जहाँ तक प्रश्न है वह इससे भिन्न है। उन्होंने इस क्वेश्चन में पूछा है कि नान कॉन्फिडियल डायरेक्टमेंटितने हैं और उनकी प्रक्रिया क्या है और क्या सरकार ने ऐसे कानूनों का अध्ययन